



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12783

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 38980 वर्ष 2025

डोरी लाल

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता	: अल्का, राकेश कुमार राठौर, रेखा साहू
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: जी.ए., सतीश कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री राकेश कुमार राठौर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री निशांत राव, श्री सतीश कुमार यादव के संक्षिप्त प्रभार में अधिवक्ता, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री जय किशन चौरसिया, राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 137 of 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस., थाना- अरावन, जनपद- फिरोजाबाद में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और इस प्रकरण में उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। सूचनादाता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया है और उसने आवेदक के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और उसका नाम केवल ग्राम प्रधान के समक्ष उसके स्वयं के न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर सामने आया है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक 21.8.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. इसके विपरीत, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है।
8. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत, जमानत को नियम के रूप में और कारावास को अपवाद के रूप में स्थापित करता है।
9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि वह किसी अपराध के करने का आरोपी है, जब तक कि उचित संदेह से परे दोष स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी के भी जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं छीना जा सकता, और वह प्रक्रिया न्यायपूर्ण एवं उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में दोहराया है।
10. उपरोक्त विचार को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595** के प्रकरण में पुनः इस बात पर बल दिया है कि विधि के इस सुस्थापित सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। यह उचित समय है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है।"
11. विद्वान अ.शा.अधि./राज्य विधि अधिकारी कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराए।



12. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों, अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को प्रकरण में उसकी अपनी न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर फंसाया गया है, तथा इस तथ्य के साथ कि सूचनादाता ने न्यायालय में दर्ज अपने बयान में आवेदक के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

13. आवेदक- **डोरी लाल**, जो उपर्युक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

19 जनवरी, 2026

विकास वर्मा